

1, 2, 3 को 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी स्वामी
 4, 5, 11 को ख. नं. 1582 में 1/6 हिस्सा तथा
 शेष भूखंड में प्रतिवादी ख. 4, 5 को 1/6 हिस्सा
 तथा प्रतिवादी गण 6, 7, 8, 9, 10 को 1/6
 हिस्सा का खातेदारी घोषित किया जा रहा है
 प्राथमिक डिमी जारी है। तथा तहसीलदार
 ओखिया मिश्र एवं काउन्सिलर के तहत
 बयान प्रस्तुत तैयार कर सभी के
 अलग अलग हिस्सा का बयान प्रस्ताव
 आगामी तारीख पेशी दिनांक 1-10-19
 को पेश करे

(Signature)
 जज

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान
 उपर पत्रावली वाले इन्तजार तथा
 प्रस्ताव हेतु दिनांक 15-10-19 को पेश हो

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपर
 पत्रावली वाले इन्तजार लेटवाया
 प्रस्ताव हेतु दिनांक 4-12-19 को पेश हो

पत्रावली जर्जन पत्र कबल शीघ्र सुनवाई
 कबल पेश होने पर तयब की गई।
 वकील पक्षकार उपस्थित। बयान प्रस्ताव
 तहसीलदार ओखिया से प्राप्त हो गया।
 जो आधील मिश्रल है। बयान प्रस्ताव
 पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी
 गई तथा वकील पक्षकारान ने बयान
 प्रस्ताव अनुसार विभाजन करवाना चाहिए
 है तथा बयान प्रस्ताव अनुसार खाला
 अलग से दर्ज करने हेतु अपनी
 सहमति दी गई।

अतः पत्रावली का अवलोकन,
 वकील पक्षकारान की बहस अनुसार

(Signature)
 JIK



2-12-19

कादीगण का वाद पत्र को स्वीकार
किया जा रहा है। तथा तहसीलदार
ओखिमा से गण बख्शा जस्ताक
अनुसार अन्तिम डिमी जारी हो।
आदेश की पालना हेतु तहसीलदार
ओखिमा के तहसीर जारी हो।
बख्शा जस्ताक अन्तिम डिमी का
भाग रहेगा।

पत्रावली फ़ैसल शुभार
होकर कम्प्लेक्स से काम की जाकि
दाखिल दफ्तार हो।

सहायक कलेक्टर, मोरवा